



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर



क्रमांक:- 10684

दिनांक:- 3/11/2020
I.B.T.(B) 59 / 2020-21

श्री राजेश सोनी पुत्र श्री मनोहरलाल सोनी
मुखण्ड सं. 293-सी.डी. गोकु स्वीट होम के सामने
प्रथम बी रोक, सरदारपुरा, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-:

विषय :- व्यवसायिक भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।

प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगिक गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 23 के अन्तर्गत अनुमोदित गार्नवित्र के अनुसार व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पट्टीसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेगे।
- 3 गार्नवित्र एवं पट्टे में यदि बकुलरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
- 5 स्वामित्व के संकष में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षों जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन गार्नवित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मटेरियल नू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पर्याप्त पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में खर्च मजदुर उसका प्रयोग कर सके। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,430/- जीव शुल्क- 1,430/- भवन निर्माण शुल्क- 3,000/- बीएसयूपी शुल्क- 7,161/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संधारण शुल्क- 17,100/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 8,582/- उपकर- 33,009/- कुल राशि- 72,702/- जरिये रसीद संख्या 9069/8299 दिनांक 08.10.2020, सुरक्षा व अमानत राशि- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/8301 दिनांक 08.10.2020, पार्किंग शुल्क- 1,50,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/8300 दिनांक 08.10.2020 एवं सूची कर- 19,197/- जरिये रसीद संख्या 9069/8801 दिनांक 13.10.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेक्षित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपको विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के परचास मलबा सड़क पर पामा गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अठारें दस हजार रुपये) वसूल किये जायेगे।

स्वीकृति का प्रकार	व्यवसायिक निर्माण
अनुमत निर्माण	बी+जी+1
कुल क्षेत्रफल	171.00 वर्ग मज

W. S. Khanna

उपपुस्तक
जोधपुर नगर निगम, दक्षिण